न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 75/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री देवकी नन्दन जती शिष्य स्व0 भगवती सागर जती निवासी शम्भूगढ तहसील आसीन्द। **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द

—अपीलार्थी —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 09/10/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 24.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 20/05/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 64सी 500211 व 500219 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,आसीन्द से सूचना चाही गयी थी। निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20/05/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 29/08/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण तहसीलदार आसीन्द से सम्बन्धित होने से उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के द्वारा अपने पत्रांक 1267 दिनांक 26.05.2017 से नियम 6(3) के तहत अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्थानान्तरित किए जाने से अपील में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को पक्षकार बनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को समयावधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को स्थानान्तरित कर दिये जाने से प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में अंकित सूचना अपीलार्थी को अपने पत्रांक/रीडर/2017/1795—97 दिनांक 27.09.2017 से भिजवाते हुए प्रति इस न्यायालय एवं

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को प्रेषित की गई जो विलम्ब से प्रेषित की गई। वांछित सूचना अपीलार्थी की माता आनन्द कंवर को जरिये तामील कुनिन्दा से उपलब्ध करादी गई। प्राप्ति रसीद की फोटो प्रति प्रत्युत्तर के साथ संलग्न की है। प्रत्युत्तर की एक प्रति जरिये डाक से भी अपीलार्थी को निःशुल्क भिजवाई गई। डाक की रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की माता को सूचना उपलब्ध करा दी गई जो विलम्ब से उपलब्ध कराई गई है परन्तु सूचना निःशुल्क अपीलार्थी को भिजवाए जाने से अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 20.05.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट की माता को प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक 1795—97 दिनांक 27.09.2017 को तैयार की जाकर दिनांक 03.10.2017 को दस्ती दिए जाने एवं सूचना की एक प्रति जरिये डाक दिनांक 03.10.2017 से भिजवाई वह विलम्ब से प्रेषित की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क प्रेषित कर दी जाने से अपील सारहीन है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 11/10/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा